कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 22.09.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सोना देवी उर्फ रामवासी पत्नी विश्राम नि0 ग्राम कुन्दुरूखा मौजा खटिकनपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–219/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. लक्ष्मी देवी पत्नी शिभु निवासिनी ग्राम खटकहिया अमवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–283/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. गुड्डा पत्नी रामू प्रसाद निवासिनी ग्राम ककरहवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–351/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मनोहर पुत्र बाबूराम नि0 गडेरियनपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–188/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 22.09.2021

लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त विनोद कुमार यादव पुत्र झिनकन प्रसाद यादव नि0 सुमेरपुर मीरपुरवा थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माता द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. विनोद कुमार यादव पुत्र झिनकन प्रसाद यादव नि0 ग्राम सुमेरपुर मीरपुरवा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–244/21, धारा 363,366,376 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 प्रेमानन्द मय टीम।

<u>सराहनीय प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 22.09.2021</u>

बलवा व मारपीट करने के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने बलवा व मारपीट करने के 03 वांछित अभियुक्तों–01.पुत्तन उर्फ आशीष तिवारी, 02. सुरेश कुमार तिवारी, 03. देवतादीन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने वादी रामबक्श तिवारी को चुनावी रंजिश के चलते बलवा कर गाली–गुप्ता देते हुए मारा–पीटा था। जिससे वादी मौके पर ही बेहोश हो गया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>
01. पुत्तन उर्फ आशीष तिवारी पुत्र राजाराम तिवारी नि0 कादीपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
01. सुरेश कुमार तिवारी पुत्र भगौती तिवारी नि0 कादीपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. देवतादीन तिवारी पुत्र शीतलाप्रसाद तिवारी नि0 कादीपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>
01. मु0अ0सं0–278/21, धारा 147,323,504,506,325,308 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>
उ0नि0 राजकुमार तिवारी मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 22.09.2021

ऑपरेशन गैंगेस्टर’ के तहत गोवध अधि0 के अभ्यस्त गैंगेस्टर अवैध चाकुओं के साथ गिरफ्तार–

15 अगस्त 2021 से चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन गैंगेस्टर’ के तहत पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने शातिर गिरोहबंध अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर गैंगेस्टर की कार्यवाही करने तथा उनकी गिरफ्तारी करने के निर्देश समस्त थाना प्रभारियो को दिया था। जिसके अन्तर्गत जनपद के विभिन्न थानों में गैंग बनाकर अपराध करने वाले शातिर व अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाहियां की गयी थी। आज उमरीबेगमगंज पुलिस ने गोवध करने वाले 03 अभ्यस्त गैंगेस्टर अपराधियों को ऑपरेशन गैंगेस्टर के तहत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट में 03 वांछित अभियुक्तों–01. जयमन्त, 02. विनोद, 03.नरसिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01–01 नाजायज चाकू बरामद किया गया। उक्त गैंगेस्टर अभ्यस्त अपराधी है जो अपने संगठित गिरोह के साथ मिलकर अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए गोवध अधि0 जैसे अपराधों में लिप्त है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. जयमन्त पुत्र नन्दलाल नि0 शेखअलाउद्दीन सालेहपुर निमैचा सोहावल थाना रौनाही जनपद अयोध्या।
02. विनोद पुत्र कृष्णा प्रसाद नि0 कटरौली सोहावल जुबेरगंज थाना रौनाही जनपद अयोध्या।
03. नरसिंह पुत्र स्व0 घनश्याम नि0 गोपीनाथपुर थाना रौनाही जनपद अयोध्या।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–256/21, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–152/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–153/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–154/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 03 नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 अंकुर वर्मा मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 22.09.2021

शातिर अपराधी अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त हरिद्वार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. हरिद्वार पुत्र शिवदयाल नि0 ग्राम जनवारपुर मौजा पूरेबहोरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–324/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता–

01. उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह।